न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
311/2017	28.11.2017	20-3-2018

1. अब्दुल शाहिद पुत्र अब्दुल खालिक — जाति मुसलमान
2. अब्दुल जाहिद पुत्र अब्दुल खालिक — निवासी उदेईकलां
3. अब्दुल मुजाहिद पुत्र अब्दुल खालिक — तहसील गंगापुर सिटी
4. सरफराज अहमद पुत्र सिराज अहमद
5. शरीफ पुत्र जरदार खां

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट
बाबत् खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने।

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 4855 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 4876 रकबा 1.16 है0 ग्राम उदेईकलां प्रार्थी सं0 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा ख0नं0 4856 प्रार्थी सं0 4, 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। भूमि ख0नं0 4853 रकबा 0.07 है0, ख0नं 4858 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 4857 रकबा 0.04 है0 व ख0नं0 4865 रकबा 0.14 है0 ग्राम उदेईकलां की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज है एवं ये चारो नम्बर गैरमुमकिन रास्ते की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज हैं परन्तु गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर कब्जे को लेकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को आये दिन परेशान किया जाता है जिससे प्रार्थीगण अनावश्यक रूप से मानसिक परेशान रहते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि ख0 नं0 4855, 4876 का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदारजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हलका, गिरदावर ने दिनांक 15.6.2016 को प्रार्थीगण को सीमाज्ञान भी करा दिया एवं प्रार्थीगण का कब्जा भी सही पाया गया तदनुसार प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज हैं। दिनांक 9.11.2007 को पटवारी हलका ने प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि ख0नं0 4853, 4858, 4857, 4865 पर से कब्जा छोडने बाबत् धमकी दी इसलिए प्रार्थीगण को पत्थरगढी कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि

खा0नं0 4855 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 4876 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 4856 रकबा 0.28 है0 ग्राम उदेईकलां (स) का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रदान करें। साथ ही तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश किया जावे कि वे मौके पर जाकर भूमि की पत्थर गढी करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ग्राम उदेईकलां की भूमि ख0नं0 4855, 4876, प्रार्थी सं0 1 लगायत 3 व ख0नं0 4856 प्रार्थी सं0 4, 5 की संयुक्त खातेदारी में है तथा ख0नं0 4859, 4858, 4857, 4865 ग्राम उदेईकलां सिवायचक गैरमुमकिन रास्ते की भूमि है। इस रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण कब्जा करते हैं तो इन्हें धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, नकल नक्शा ट्रेस, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.6.2016 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण की भूमि गैरमुमकिन रास्ते की भूमि के पास ही स्थित होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थीगण को आये दिन अनावश्यक रूप से परेशान करता रहता है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी करवा दी जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी कराने को स्वतंत्र हैं परन्तु वे सिवायचक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम उदेईकलां की भूमि ख0नं0 4855, 4876, प्रार्थी सं0 1 लगायत 3 व ख0नं0 4856 प्रार्थी सं0 4, 5 की संयुक्त खातेदारी में है तथा ख0नं0 4859, 4858, 4857, 4865 ग्राम उदेईकलां सिवायचक गैरमुमकिन रास्ते की भूमि है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराया हुआ है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 15.6.2016 पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को उनकी भूमि ख0नं0 4855 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 4876 रकबा 1.16 है0 तथा ख0नं0 4856 रकबा 0.28 है0 ग्राम उदेईकलां का सीमाज्ञान कराते हुए इन नम्बरों की पत्थरगढी करावें। सिवायचक गैर मुमकिन रास्ते की भूमि ख0नं0 4853 रकबा 0.07 है0, ख0नं 4858 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 4857 रकबा 0.04 है0 व ख0नं0 4865 रकबा 0.14 है0 ग्राम उदेईकलां पर यदि प्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-3-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी